फर्द अहकाम

नाम न्यायालय AC-II प्रेमलता शर्मा बनाम सुनील वगै.

केस संख्या 1140 - 2023/90

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	05/6/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता उप। मूलवाद के साथ दिनांक 07/06/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	7/6/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता उपस्थित। मूलवाद के साथ दिनांक 12/06/2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	12/06/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता उपस्थित। मूलवाद को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र O7R11 स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद खारिज किया जाता है। जब मूलवाद ही खारिज हो गया है तो प्रा. पत्र T.I. को चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र अस्वीकृत निरस्त की जाकर उभय पक्ष के पत्रावली फैसल शुमार होकर उभय पक्ष के मूलवाद पर निर्णय कम होकर फैसल मूलवाद पर निर्णय आज दिनांक 12/06/2023 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner